**राजस्थान सरकार**
कार्मिक (क–II) विभाग

सं.एफ.1(3) डीओपी/ए–II/78 जयपुर, दिनांक : 6-01-2012

**अधिसूचना**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2012 है।
   (2) ये 1.04.2011 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **नये नियम 24 ख का जोड़ा जाना.**– राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के विद्यमान नियम 24 कक के पश्चात्, इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, निम्नलिखित नया नियम 24ख जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

   " **24 ख. डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन (DACP) स्कीम के अधीन पदोन्नति.**–(1) नियम 25 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और नियम 24 खख के उपबंधों के अध्यधीन सेवा के सदस्यों को डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन (DACP) स्कीम जिसे इसमें इसके पश्चात् डी.ए.सी.पी. स्कीम कहा गया है, के अधीन निम्नानुसार पदोन्नतियां मंजूर की जायेंगी :–

| क्र.सं. | डी.ए.सी.पी. स्कीम के अधीन पदोन्नति | | पदोन्नति के लिए अपेक्षित नियमित सेवा के वर्षों की संख्या |
|---|---|---|---|
| | पद से | पद पर | |
| 1. | सहायक आचार्य | सह आचार्य | अधिष्ठायी रूप से नियुक्त संबंधित विशिष्टताओं वाले ऐसे सहायक आचार्यों में से, जिन्होंने उक्त पद पर नियुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। |
| 2. | सह आचार्य | आचार्य | संबंधित विशिष्टताओं वाले ऐसे सह आचार्य से, जिसने उक्त पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। |
| 3. | आचार्य | वरिष्ठ आचार्य | संबंधित विशिष्टताओं वाले ऐसे आचार्यों से जिन्होंने उक्त पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। |

टिप्पण : 1. सह आचार्य, जो 01–04–2011 को सह आचार्य के रूप में चार वर्ष की सेवा सहित 14 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो और 01–04–2011 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आचार्य के रूप पदोन्नत किया गया हो, को आचार्य के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, वरिष्ठ आचार्य के रूप में 10,000/–रूपये का ग्रेड वेतन 01–04–2013 से मंजूर किया जायेगा।

(2) आचार्य जो 01–04–2011 से पहले नियमित रूप से पदोन्नत हुआ हो और जिसने 01–04–2011 को 14 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो परन्तु जिसने 01–04–2011 को आचार्य के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, को भी वरिष्ठ आचार्य के रूप में 10,000/–रूपये का ग्रेड वेतन 01–04–2013 से मंजूर किया जायेगा।

(2) डी.ए.सी.पी. स्कीम के अधीन, चाहे रिक्ति उपलब्ध हो या न हो, पदोन्नति की जायेगी।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियमित सेवा से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है किसी सरकारी सेवक द्वारा उस पद के लिए सुसंगत भर्ती नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में नियमित चयन के पश्चात् नियुक्ति होने पर की गयी सेवा। तदर्थ/अस्थायी आधार पर की गयी सेवा की कालावधि नियमित सेवा के रूप में प्रगणित नहीं की जायेगी। दूसरे शब्दों में, सेवा की केवल वह कालावधि जो वरिष्ठता के लिए गणना किए जाने योग्य है, ही नियमित सेवा के रूप में प्रगणित की जायेगी।

(4) सेवा के ऐसे सदस्य, जो 01-04-2011 के पश्चात् डी.ए.सी.पी. स्कीम के फायदे के लिए हकदार है, इन नियमों के नियम 24 और 24 क का फायदा लेने के पात्र नहीं होंगे"

3. **नया नियम 24 खख का जोड़ा जाना.**– उक्त नियमों में, इस प्रकार जोड़े गये नियम 24 ख के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 24 खख जोड़ा जायेगा अर्थात्:–

"**24 खख. डी.ए.सी.पी. मंजूर करने के लिए प्रक्रिया:**–(1) चिकित्सा शिक्षा विभाग का शासन सचिव प्रत्येक वर्ष के प्रथम अप्रेल को सेवा के ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करेगा, जो उस वर्ष डी.ए.सी.पी. के लिए पात्र हों।

(2) डी.ए.सी.पी. मंजूर करने के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी.–

(i) अभ्यर्थी नियम 12 में उल्लिखित शैक्षणिक और तकनीकी अर्हर्ता रखता हो।

(ii) अभ्यर्थी के पिछले 7 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो।

(3) सरकार उन व्यक्तियों के मामले में, जो डी.ए.सी.पी. मंजूर करने के समय निलम्बित हों या जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, यदि ऐसा निलम्बन या ऐसी जांच या कार्यवाहियां लंबित न होतीं तो उस पद, जिसके वे पात्र हैं या पात्र होते, पर उनके संबंध में विचार किया जाता, डी.ए.सी.पी. मंजूर करते समय या आनुषंगिक मामलों में सम्पूर्ण व उचित रीति से अन्तिम अनुदेश जारी कर सकेगी।

(4) नियम 6, 8 और 8 क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि डी.ए.सी.पी. मंजूर करने के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी द्वारा धारित वह पद उसके पदधारित किए जाने तक उस पद में संपरिवर्तित हो जायेगा जिस पर उस अभ्यर्थी की पदोन्नति हुई होती।

(5) निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा स्क्रीन किए जाने के पश्चात् ही डी.ए.सी.पी. के अधीन पदोन्नति अनुज्ञात की जायेगी, अर्थात् :–

| | |
|---|---|
| 1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य | अध्यक्ष |
| 2. चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख शासन सचिव | सदस्य |
| 3.कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का कोई एक प्राचार्य | सदस्य |
| 5. चिकित्सा शिक्षा विभाग का उप शासन सचिव | सदस्य सचिव |

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(नलिनी कठोतिया)
उप शासन सचिव

5/2012